


बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

आदेश

“बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009” के अनुपालन हेतु बिहार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन हेतु प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए अंतिम तिथि 30 सितम्बर तक विस्तारित की जाती है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि एतत् संबंधी सूचना सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं जिला में संचालित प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दें। साथ ही इसका अनुपालन सुनिश्चित करायें।




(अमरजीत सिन्हा)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 8/व 3-34/2012 708

पटना, दिनांक- 27/09/2012/

प्रतिलिपि-राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद/निदेशक (प्रा0शि0)/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सभी कार्यपालक पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/सभी प्रमुख पंचायत समिति/सभी मुखिया ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 8/व 3-34/2012 708

पटना, दिनांक- 27/09/2012/

प्रतिलिपि-आप्त सचिव माननीय शिक्षा मंत्री को सूचनार्थ प्रेषित।



प्रधान सचिव।